

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 950/2017/बीकानेर.

मैसर्स ड्यूनेक ऑटोमोबाईल्स (प्रा0) लिमिटेड,
सी-40, वैद्य मघाराम कॉलोनी, बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 181/आरवेट/बीकानेर/2016-17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 01.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2013-14 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.4.2016 को पारित किया गया था जिसमें उस समय प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग अकाउण्ट में रूपये 16,76,22,620/- की हानि दर्शाई हुई थी, परन्तु उस हानि को स्वीकार करते हुए कर निर्धारण किया गया था परन्तु दिनांक 18.10.2016 को अधिनियम की धारा 26 के तहत पुनः कर निर्धारण करते हुए हानि की राशि को टर्नओवर मानते हुए उसको विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस राशि पर कर आरोपित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह आधार देते हुए कि अपीलार्थी द्वारा दर्शित की गई हानि के सम्बन्ध में कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किया है, अतः हानि पर आरोपित किये गये कर की पुष्टि की गई एवं अपील अस्वीकार की गई, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कई कारणों से व्यवहारी द्वारा वाहनों की खरीद कीमत से कम कीमत पर वाहन बेचे गये जिसके कारण उन्हें नुकसान हुआ है, परन्तु वह उनकी विक्रय राशि में किसी भी स्थिति में जोड़ा नहीं जा सकता एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य नहीं पाया गया जो उनके वाहनों को कम विक्रय मूल्य पर बिक्री किया जाना साबित कर सके।

लगातार.....2

4. विद्वान अभिभाषक ने विधिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कथन किया कि विक्रय मूल्य वह राशि होती है जो माल के एवज में किसी विक्रेता द्वारा क्रेता से प्राप्त की जाती है एवं पूर्ण विक्रय मूल्य का योग उसके टर्नओवर का भाग होता है और ऐसे कर योग्य टर्नओवर पर ही करारोपण किया जा सकता है जबकि इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी प्राप्तियों के ही कम मूल्य पर विक्रय किये गये माल पर हानि की राशि को टर्नआवेर में जोड़ा है जबकि वह राशि विक्रेता को प्राप्त नहीं हुई है, फलतः किया गया करारोपण अविधिक होने से अपास्त योग्य है।
5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा माल को कम कीमत पर विक्रय किया गया है एवं ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि उनके द्वारा कम कीमत में माल क्यों बेचा गया है, ऐसी स्थिति में स्पष्टीकरण के अभाव में जो करारोपण किया गया है वह उचित है।
6. राजस्व की ओर से यह भी कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आउटपुट राशि से अधिक इनपुट राशि को रिवर्स भी किया जा सकता था परन्तु उन्होंने इसके स्थान पर पूर्ण राशि पर करारोपण करते हुए प्राप्त इनपुट राशि का लाभ दे दिया गया है अतः व्यवहारी को किसी भी तरह की हानि नहीं हुई है।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. इस प्रकरण में रेकॉर्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा टाटा मोटर्स के वाहनों को कम मूल्य पर विक्रय किये जाने से हानि प्राप्त हुई है परन्तु विधिक रूप से हानि की राशि को विक्रय मूल्य एवं कर योग्य टर्नओवर में सम्मिलित किया जाना अनुमत नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई जांच किये ही यह करारोपण किया गया है जबकि प्रकरण के तथ्यों का अन्वेषण किये जाने पर पाया गया कि वाहनों के मामलों में कम विक्रय मूल्य पर माल के विक्रय किये जाने पर एवं आउटपुट राशि से इनपुट राशि अधिक पाये जाने की स्थिति में इनपुट क्रेडिट को रिवर्स किया जा सकता था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने मूल कर निर्धारण आदेश तथा रीओपन किये गये कर निर्धारण आदेश में यह तथ्य नहीं लिया गया जो कि राजस्व के विरुद्ध है।






लगातार.....3

9. प्रकरण के समग्र अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह जांच नहीं की गई है कि खरीद मूल्य से कम मूल्य पर वाहन क्यों बेचे गये एवं क्या ऐसे मामलों में कोई सब्सिडी प्राप्त हुई है एवं माल का विक्रय सब्सिडाइज्ड मूल्य पर किये जाने के कारण हानि प्राप्त हुई है तो ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 18(3)(ए) के अनुसार उस मात्रा में आई.टी.सी. को रिवर्स किया जा सकता था। इसी तरह के समान मामले में जो कि अपीलार्थी के अभिभाषक ने भी प्रस्तुत किया है जिसमें राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 1121-1123/2016/उदयपुर मैसर्स पास्को मोटर्स बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 03.01.2018 में कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिये गये है कि सब्सिडाइज्ड मूल्य पर माल का विक्रय किया जाना पाये जाने पर उनकी आई.टी.सी. को धारा 18(3)(ए) के तहत रिवर्स किया जा सकता है, अतः इस प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण में पूर्ण जांच करें, जिसमें यदि सब्सिडाइज्ड मूल्य पर माल विक्रय करने के कारण कम राशि प्राप्त हुई है तथा सब्सिडी लिया जाना प्रमाणित होता है तब उनकी आई.टी.सी. को अधिनियम की धारा 18(3)(ए) के अनुसार रिवर्स किया जावे। यहां यह टिप्पणी करना उचित होगा कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रावधानों का अध्ययन किये बिना केवल हानि की राशि पर करारोपण कर दिया गया जो विधि अनुसार नहीं है, जबकि ऐसे मामलों में अधिनियम की धारा 18(3)(ए) के अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था।

10. फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे बहियात की पूर्ण जांच कर कम मूल्य पर माल विक्रय करने के कारणों का अन्वेषण कर, यदि अपीलार्थी को टाटा मोटर्स से या अन्य किसी जरिये हानि की राशि का अन्य राशियों से पुनर्भरण किया गया है तो माल का विक्रय सब्सिडाइज्ड मूल्य पर होने से अधिनियम की धारा 18(3ए) के अनुसार आई.टी.सी. को रिवर्स की जाकर पुनः आदेश पारित किया जावे। फलतः अपीलार्थी एवं राजस्व की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्क के प्रकाश में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर उपरोक्त विवेचन के आलोक में पुनः कर निर्धारण करने के आदेश दिये जाते हैं।

11. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष